न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 30 / 2018
तारीख निर्णय – 25.02.2021

प्रार्थी :–

1. बाघसिंह पुत्र शिवनाथसिंहजी जाति–राजपूत आयु–वयस्क
   निवासीगण– गुडा जैतावतान, तहसील–देसूरी जिला पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. रणजीतसिंह पुत्र धुलसिंहजी आयु–वयस्क
2. श्रवणसिंह पुत्र धुलसिंहजी आयु–वयस्क
3. समन्दरकंवर पुत्री धुलसिंहजी आयु–वयस्क
4. धापकंवर पत्नी धुलसिंहजी आयु–वयस्क
   जातिगण तमाम–राजपूत, निवासीगण–गुडा जैतावतान,
   तहसील–देसूरी जिला–पाली

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–
1– प्रार्थीगण की ओर से – वकील प्रदीपसिंह सोलंकी।
2– अप्रार्थीगण की ओर से – वकील मनोहरदास वैष्णव।

–: निर्णय :– **दिनांक–25.02.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम गुडा जैतावतान पटवार हल्का मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 195 रकबा 0.0400 हेक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.6400 हेक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.4800 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म जाव सोयम, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0100 हैक्टर [illegible] बेरा, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.0500 हैक्टर किस्म गै.मु. सड़ा, खसरा नम्बर 247 [illegible] 0.3700 किस्म चाही स[illegible]य जाव सोयम, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.9200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, कुल क्षेत्रफल 3.3800 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारान संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:05 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी./ओ.) देसूरी (पाली)

यह है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी की खातेदारी का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 3 का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा एव बकाया हिस्से वाद–पत्र में दर्ज अनुसार दीगर प्रतिवादीगण के हिस्से संयुक्त खातेदारी आधिपत्य के अविभाजित विद्यमान है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी की प्रति संलग्न है।

यह है कि वादग्रस्त आराजियात का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं वाद में दर्ज दीगर प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की अविभाजित है, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया हुआ नहीं है, जिससे मौक पर अप्रार्थीगण, प्रार्थी क खातेदारी हिस्से की आराजी में प्रार्थी के काश्त आदि में नाजायज दखलन्दाजी करते है, जिससे प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का माफिक खातेदारी हिस्सो अनुसार मौका स्थिति एवं रास्ता, उपजाउत एवं उपयोगिता आदि के मध्य नजर कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करवा कर अपनी खातेदारी के 1/3 हिस्से की आराजियात का पृथ बंट करवाना चाहता है, जिसका प्रार्थी को विधिक अधिकार प्राप्त है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को बार–बार कहने पर आज कल बतला कर टालम–टोली कर रहा है एवं विभाजन हेतु तैयार नही हो रहा है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया हुआ नहीं होने से अप्रार्थीगण, प्रार्थी के खातेदारी हिस्से में प्रार्थी के काश्त, आवाजाही आदि मे नाजायज रोक–टोक, दखन्दाजी करने पर आमादा है एवं बिना विधिक विभाजन हुए ही भूमि विशेष को अपनी जताने खुर्द–बुर्द, हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं वादग्रस्त संयुक्त आराजियात के संयुक्त स्वामित्व के असंगत कृत्य करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थीगण को हक अधिकार नहीं है अतः प्रार्थी यह मूल वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण एवं दीगर सहखातेदारान के वादग्रस्त आराजियात का कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराये जाने हेतु एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु हस्ब धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है जो प्रार्थी का मूल वाद प्रथम दृष्टया कामयाब होने योग्य है, जिसमें प्रार्थी की सफलता के ठोस आधार एवं अभिलेखिय आधार है। प्रार्थी का मूल वाद में तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में लागु होते है।

यह कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं वाद–पत्र में दर्ज दीगर प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की अविभाजित है, जो प्रथम दृष्टया जमाबंदी की प्रस्तुत प्रतिलिपि से साबित होता है एवं माननीय सुस्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब तक वादग्रस्त संयुक्त आराजी का कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हो जाता तब तक सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तथा इसके सभी सह खातेदारों का उनकी हिस्से अनुसार संयुक्त रूपेण हक अधिकार आधिपत्य एवं हित विद्यमान है। जिससे बिना विधिक विभाजन के कोई भी सहखातेदार किसी भूमि विशेष को अपना

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 17:44:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नही बता सकता, जिससे किसी भी सहखातेदार को संयुक्त सम्पति के किसी भूमि विशेष भाग पर बिना विभाजन के निमाण कार्य कराने, खुर्द बुर्द, फरोख्त, हस्तान्तरण डेमेज करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। फिर भी अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन के वादग्रस्त संयुक्त आराजी के भूमि विशेष भाग को अपने स्वामित्व का बताकर बलपूर्वक जबरदस्ती अपनी मन मर्जी से खदु–बुर्द, फरोख्त, हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं प्रार्थी के खातेदारी हिस्से में प्रार्थी के कब्जा काश्त में नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा है, मना करने पर टण्टा फसाद पर उतारू है अप्रार्थीगण को उक्त अवैध कृत्य करने कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह है मूल वाद के निर्णय में समय लगने की संभावना होने से मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश जारी किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के खातेदारी हिस्से में प्रार्थी के काश्त उपयोग उपभोग में नाजायज रोक–टोक, बाधा, दखलन्दाजी करने या किसी अन्य से कराने से तथा बिना विधिक विभाजन के किसी भूमि विशेष के भाग को किसी प्रकर से खुर्द–बुर्द फरोख्त, डेमेज करने से र अप्रार्थीगण को रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है अन्यथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उसके खातदेारी हिस्से की भूमि से काश्त आदि से वंचित कर देगा एवं रोक–टोक करेगा तथा नाजायज दखलन्दाजी करगो एव बलपूर्वक बिना विधिक बंटवाडे के भूमि विशेष को खुद–बुर्द हस्तान्तरण कर देगें जिससे प्रार्थी के विधिक एवं जायज हक अधिकारों के साथ कुठाराघात होगा एवं प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी एवं प्रार्थी द्वारा मूल वाद करने मकसद समाप्त हो जायेगा एवं मौके पर टण्टा फसाद होगा व अनावश्यक वाद विवाद बढेगा।

अप्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहे है, किन्तु प्रार्थी को उसके खातेदारी 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्त से वंचित करने एवं दखलन्दाजी करने पर आमादा है जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में उन्हें कोई क्षति या उनके किसी हक अधिकारों के पर कुठाराघात नहीं होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन और अपूर्णिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में लागे होता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा ग्राम गुडा जैतावतान पटवार हल्का मगरतलाव के खसरा नंबर 196, 197, 243, 244, 245, 246, 280 की वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के 1/3 हिस्से की आराजी में काश्त–कब्जा उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण स्वयं एवं अपने नौकर, रिश्तेदार एवं ऐजेन्ट के मार्फत या किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत किसी प्रकार से कोई रोक–टोक, बाधा, अवरोध, दखलन्दाजी नहीं करावें एवं वादग्रस्त आराजियात को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, फरोख्त, हस्तांतरित, डेमेज नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पेज लगातार 04 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से वकील मनोहरदास वैष्णव द्वारा वकालत नामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 03 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2, व 4 के अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत करने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

पत्रावली में वकुलाय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र मे निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला :– वकील प्रार्थी का तर्क है कि मौजा ग्राम गुडा जैतावतान पटवार हल्का मगरतलाव के खसरा संख्या 195, 196, 197, 243, 244, 245, 246, 280 कुल रकबा 3.3800 हैक्टर की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की अविभाजित वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि खातेदारी हक अधिकार की विद्यमान है। जिसमे अप्रार्थीगण रोक–टोक, बाधा, अवरोध, दखलन्दाजी कर प्रार्थी को पेरशान करते है एवं काश्त नहीं करने दे रहे है। जिस बाबत दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2073–2076 से प्रार्थी का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार होने से पृथम दृष्टया प्रतीत होता है।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से वकील मनोहरदास वैष्णव ने दौराने बहस में कथन किया कि ग्राम गुडा जैतावतान के खसरा संख्या 195, 196, 197, 243, 244, 245, 246, 280 कुल रकबा 3.3800 हैक्टर में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण व दीगर प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी है। जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई रोक–टोक एवं दखलन्दाजी नहीं कर रहे है। अतः उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तथा दीगर प्रतिवादीगण की संयुक्त आधिपत्य की अविभाजित खातेदारी भूमि होने से पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं

प्रथम दृष्टया मामला पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। उपर्युक्त वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी एव अप्रार्थीगण व अन्य खातेदार की संयुक्त आधिपत्य की अविभाजित खातेदारी भूमि है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार व सहखातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:05 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा बल पूर्वक अवैध तरीको से प्रार्थी की कृषि भूमि पर काश्त नहीं करने दे रहे एवं दखलन्दाजी करने पर आमादा है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं की जा रही है जिससे की प्रार्थी को ज्यादा असुविधा व विवाद बढ़े। अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अधिक असुविधा हेागी। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वाद मात्र बंटवाडा का है व सभी सहखातेदार है। एवं वकील अप्राथीगण द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आरजियात के किसी भी भाग को हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। जिससे यदि विवादित आराजियात के संबध में प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थी को ऐसी कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय की राय में प्रार्थी का यह अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:05 IST
Reason: SelfAttested